



Neutral Citation No.-2026:AHC:10045

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या-35725 वर्ष 2024

रवींद्र आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: अंजनी कुमार रघुवंशी, सुजान सिंह

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: कपिल त्यागी, अपर शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची को संशोधित किया गया है।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री सुजान सिंह, सूचनाकर्ता के अधिवक्ता श्री कपिल त्यागी, राज्य के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता श्री वीकेएस परमार को सुना और अभिलेखों पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया।
3. प्रस्तुत ज़मानत आवेदन आवेदक द्वारा 2021 के अपराध संख्या-36 में धारा 147, 148, 149, 302, 307, 504 भ०द०वि० के तहत आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम की धारा 7 सपठित धारा 147, 148, 149, 302, 307, 504 भ०द०वि० के तहत दायर किया गया है, जिसमें उसे ज़मानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।
4. आवेदक की ओर से यह दूसरी ज़मानत याचिका है। आवेदक की पहली ज़मानत याचिका को इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने 2023 के आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या-41381 में पारित दिनांक 25.9.2023 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया था।
5. आवेदक के अधिवक्ता ने कहा है कि आवेदक को प्रस्तुत मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। उसका उक्त अपराध से कोई लेना-देना नहीं है क्योंकि विवाद का मुख्य कारण नरेंद्र के साथ था और किसी भी आरोपी व्यक्ति द्वारा उस पर हमला नहीं किया गया है, जिसका अर्थ है

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कि यह झूठे निहितार्थ का मामला है। इस प्रकार, आवेदक जमानत का हकदार है। आवेदक का कोई पिछला आपराधिक इतिहास नहीं है, सिवाय इस मामले के बाद उस पर थोपे गए चार मामलों के। आवेदक 11.2.2021 से जेल में है और वह मुकदमे में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा

6. तत्स्य विपरीत, सूचनाकर्ता और अपर शासकीय अधिवक्ता के अधिवक्ता ने इस आधार पर जमानत आवेदन का जोरदार विरोध किया है कि आवेदक हमलावरों में से एक है और प्राथमिकी में उसका नाम है, इस तरह, वह जमानत का हकदार नहीं है।

7. सर्वोच्च न्यायालय ने 'एक्स' बनाम राजस्थान राज्य और एक अन्य INSC 909 2024 में रिपोर्ट किए गए के मामले में व्यवस्था दी है कि एक बार मुकदमा शुरू हो जाने के बाद, इसे अपने अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने की अनुमति दी जानी चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप या तो दोषी साबित हो सकता है या आरोपी बरी हो सकता है। आरोप तय होने के बाद आरोपी को सामान्य रूप से जमानत नहीं दी जानी चाहिए। बयान में यहां या वहां की विसंगतियों को देखकर भी इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

8. पक्षों के अधिवक्ता को सुनने के बाद और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक हमलावरों में से एक है और इस तथ्य के साथ प्राथमिकी में नामित किया गया था कि मुकदमा अपने निर्णायक अंत में है, मुझे आवेदक को जमानत देने के लिए यह उपयुक्त मामला नहीं लगता।

9. जमानत आवेदन योग्यता से रहित पाया जाता है और तदनुसार, **खारिज** किया जाता है।

10. हालांकि, यह निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित उपरोक्त मामले को सिद्धांत के मद्देनजर जैसा कि **विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य 2015 (3) एस.सी.सी. 220 और हुसैन और अन्य बनाम भारत संघ; (2017)5 एस.सी.सी. 702** के मामलों में उच्चतम न्यायालय के हाल के फैसलों में निर्धारित किया गया है; अगर कोई कानूनी बाधा नहीं है, तेजी से तय किया जाए ।



11. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां ज़मानत आवेदन के निपटान से संबंधित पक्षों द्वारा लाए गए तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

जनवरी 13, 2026

विकास वर्मा

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)